कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(सीपीसी) की बैठक सं0 2/2000 दिनांक 4-1-2000 को जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सायं 4·00 बजे सम्पन्न हुई का कार्यवाही विवरण :

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया -

1- श्री के·पी· सिंघल, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
2- श्री पी·आर· शर्मा, निदेशक (वित्त)जविप्रा, जयपुर ।
3- श्री ए·के· गुप्ता, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर ।
4- श्री एस·एल· माथुर, निदेशक(अभियांत्रिकी) जविप्रा,जयपुर ।
5- श्री ए·एन· भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(सीपी) जविप्रा,जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे :-

1- श्री ओ·पी· सहारण, अति0 आयुक्त(भूमि एवं योजनाएं)जविप्रा,जयपुर ।
2- श्री पी·अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक(एम·पी·)जविप्रा,जयपुर ।
3- श्री सुरेश गुप्ता, उपायुक्त, जोन बी-1, जविप्रा,जयपुर ।
4- श्री अनिल गुप्ता, उपायुक्त, जोन बी-2, जविप्रा, जयपुर ।
5- श्री ओ·पी· खड़गावत, उपायुक्त, जोन बी-3, जविप्रा, जयपुर ।
6- श्री बद्रीनारायण, उपायुक्त, जोन सी-2, जविप्रा, जयपुर ।
7- श्री जे·पी· सिंघल, जोनल अभियन्ता, जोन सी-2, जविप्रा, जयपुर ।
8- श्री तेजसिंह राठौड, सहायक नगर नियोजक, बी-1, जविप्रा,जयपुर ।
9- श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, सहायक नगर नियोजक(सीपी)जविप्रा,जयपुर ।

---

(1) बीपीसी-II(सीपीसी) की बैठक दिनांक 20-11-99 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टिकरण हेतु :

समिति द्वारा पुष्टि की गयी ।

(2) बीपीसी-II(सीपीसी) की बैठक दिनांक 4-12-99 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टिकरण हेतु :

समिति द्वारा पुष्टि की गयी ।

§3§ बीपीसी-।।§सीपीसी§ की बैठक दिनांक 20-11-99 की अनुपालना रिपोर्ट :

समिति द्वारा अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन कर संतोष व्यक्त किया गया ।

§4§ बीपीसी-।।§सीपीसी§ की बैठक दिनांक 4-12-99 की अनुपालना रिपोर्ट :

समिति द्वारा अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन कर संतोष व्यक्त किया गया ।

§5§ <u>एजेण्डा आईटम :</u>

5•1- एजेण्डा सं0 2/2000-1 :- मै: सहारा इंडिया हाउसिंग लिमिटेड का विकासकर्ता के पंजीकरण के संबंध में :

समिति द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा सहारा इंडिया के प्रतिनिधियों को बैठक में सुना गया । विचार-विमर्श कर मै0 सहारा इंडिया हाउसिंग लिमिटेड का जयपुर विकास प्राधिकरण "निजी विकासकर्ता द्वारा आवासीय योजना एवं लघु नगर विकास" विनियम,1998 के अन्तर्गत निजी विकासकर्ता के रूप में पंजीयन करने का निर्णय लिया गया ।

5•2- एजेण्डा सं0 2/2000-2 :- योजना 10 बी के अन्तर्गत भरत विहार कालोनी को गोपालपुरा बाईपास द्वारा रोड़-सर्विस लेन से जोड़ने के क्रम में :

योजना 10 बी के अन्तर्गत भरत विहार कालोनी के प्रतिनिधि समिति के समक्ष उपस्थित हुए तथा अपना पक्ष प्रस्तुत किया । उनके द्वारा बीपीसी-द्वितीय§सीपीसी§ की बैठक दिनांक 6-5-97 के निर्णय की प्रति भी प्रस्तुत की गयी । समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रकरण पुन: समिति के सम्मुख दिनांक 7-1-2000 को गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा पूर्व में प्रस्तुत मानचित्र तथा स्वीकृत मानचित्र के साथ प्रस्तुत किया जाये । साथ ही भरत विहार कालोनी

5•3- एजेण्डा सं0 2/2000-3 :- तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना नेमीनगर में स्थित पार्क की भूमि में तकनीकी रूप से अनुमोदित दुकानों के निरस्तीकरण कर पार्क के रख-रखाव हेतु श्री शिव वाटिका विकास समिति को संभलवाने हेतु :

समिति द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा स्वीकृत योजना के सुविधा क्षेत्र में पूर्व में स्वीकृत 16 दुकानों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया । पार्क के रख रखाव हेतु श्री शिव वाटिका विकास समिति को पार्क संभलाया जाये।

5•4- छत्रपति गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सम्राट नगर के अनुमोदन बाबत :

समिति द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा का अवलोकन किया । मास्टर विकास योजना 2011 में एयरपोर्ट एरिया के दक्षिण में सांगानेर चौराहे से खो-नागोरियान तक 200 फिट चौड़ी सड़क प्रस्तावित है तथा यह सड़क भू-उपयोग 2011 के अनुसार सम्राट नगर योजना में से होकर निकलती है जिसके कारण योजना के 78 भूखण्ड प्रभावित होते है । विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् समिति द्वारा निम्न निर्णय लिया गया :-

(1) पूर्व में स्वीकृत योजना के कुछ भाग को हवाई अड्डा प्राधिकरण ने अवाप्त किया था, उस भाग में आने वाले 30 भूखण्डों को निरस्त किया जाता है ।

(2) 200 फिट चौड़ी सड़क के अन्तर्गत आने वाले स्वीकृत योजना के 78 भूखण्डों को निरस्त किया जाता है ।

(3) योजना के शेष भूखण्डों का नियमन किया जाये ।

(4) समिति को यदि चाहे तो योजना को संशोधित करने का एक मौका और दिया जाये तथा समिति यह संशोधित मानचित्र दिनांक 7-1-2000 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर दें ।

5•5- एजेण्डा सं0 2/2000-5 :- श्री लक्ष्मीनारायणपुरी गृह निर्माण सह0 समिति की योजना विजयनगर में भूखण्ड सं0 61 के सैट बैकस वर्तमान भवन विनियम 1996 के अन्तर्गत संशोधित करवाने बाबत :

(6) अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से विभिन्न उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिए गए :-

6.1- अति0 एजेण्डा सं0 2/2000-6 :- ग्रीन नगर (जोन बी-1) :

न्यूपिंकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना ग्रीन नगर के भूखण्ड सं0 53 के भूखण्डधारी को समिति द्वारा सुना गया और यह देखते हुए कि इस भूखण्ड में सैट बैक छोड़ने के बाद एक कमरा और रसोई/टॉयलेट बन सकता है । अत: बैठक सं0 01/2000 में लिये गये निर्णय पर पुर्नविचार करते हुए भूखण्ड सं0 53 को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया ।

6.2- अति0 एजेण्डा सं0 2/2000-7 :- ग्रीन नगर (जोन बी-1) :

समिति द्वारा भूखण्ड सं0 1 से 20 के उपस्थित भूखण्डधारियों को सुना गया और मौके की करायी गयी पैमाईश के आधार पर वस्तु-स्थिति का अवलोकन किया गया । मौके की स्थिति व यह देखते हुए कि पूर्व में भूखण्डधारियों से 13-13 फिट की पट्टी सड़क की चौड़ाई के लिए समर्पित करवायी थी, बैठक सं0 1/2000 के निर्णय पर पुर्नविचार करते हुए यह निर्णय लिया गया कि इन भूखण्डों के सामने वाली सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 51 फिट रखी जाये और भूखण्ड की गहराई अधिकतम 57 फिट रखते हुए इनके अनुमोदन और नियमन की कार्यवाही की जाये । भूखण्ड सं0 14 जो पहले अनुमोदित है उसमें से सड़क निकल जाने के कारण उसे निरस्त करने का निर्णय लिया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि मौके पर इस प्रकार लिये गये निर्णय की क्रियान्विती तुरन्त करायी जाये और जो अतिक्रमण हो उसे हटाया जाये ।

6.3- अति0 एजेण्डा सं0 2/2000-8 :- श्रीजी नगर (जोन बी-1) :

न्यूपिंकसिटी गृह निर्माण सह0 समिति की योजना श्रीजी नगर के खसरा नं0 180 ग्राम दुर्गापुरा के भूखण्डों का इकरारनामा उपलब्ध हो जाने के कारण उपायुक्त, बी-1 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा का अनुमोदन करते हुए एजेण्डा में अंकित प्रस्तावों के अनुसार भूखण्डों को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया ।

6·4- अति० एजेण्डा सं० 2/2000-~~4~~9 :- मौजी नगर (जोन ए-1) :

मौजी हाउसिंग को०सो० की योजना मौजी नगर के जवाहर लाल नेहरू मार्ग के सेन्टर से 300 फिट में आने वाले भूखण्डों (भूखण्ड सं० 1 से 27) एवं रेल्वे लाईन के समानान्तरण 80 फिट चौड़े फास्ट ट्रेक में आने वाले भूखण्डों को निरस्त करने और तद्नुसार पूर्व में अनुमोदित योजना को संशोधित करने का निर्णय लिया गया ।

6·5- अति० एजेण्डा सं० 2/2000-~~5~~10 :- जोशी नगर (जोन बी-3) :

छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सह० समिति की योजना जोशी नगर के प्रकरण में कालवाड़ रोड़ को 80 फिट रोड़ से मिलाने वाली सैक्टर रोड़ की चौड़ाई को 60फिट से कम कर 40 फिट करवाने पर विचार किया गया । बाद विचार-विमर्श निर्णय लिया गया कि इसके दोनों ओर बने मकानों की वर्तमान स्थिति का सर्वे करवा कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ताकि इस पर बैठक दिनांक 11-1-2000 में निर्णय लिया जा सके ।

6·6- अति०एजेण्डा सं० 2/2000-~~6~~11 :- आनन्द कालोनी (जोन ए-2) :

गोविन्द गृह निर्माण सह० समिति की योजना आनन्द कालोनी बाबत उपायुक्त, जोन ए-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श कर खसरा नं० 236, 237 पर बने भूखण्डों को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया । पूर्व में इन खसरों में आने वाले भूखण्ड इसलिए अनुमोदित नहीं किये गये थे क्योंकि यह एस·सी·,एस·टी· से खरीदी हुई जमीन थी, जो अब भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी के अन्तर्गत कार्यवाही से प्राधिकरण में निहित हो गयी है ।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई ।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(सीपीसी)
जविप्रा,जयपुर ।

क्रमांक: एफ-11(14)जविप्रा/वनि/सीपी/2/2000/डी-8
दिनांक : 6-1-2000

प्रतिलिपि:
----

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर ।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
3. निदेशक (आयोजना)/(विधि)/(वित्त)/अभियांत्रिकी), जविप्रा, जयपुर ।
4. अति० आयुक्त (भूमि एवं योजना), जविप्रा, जयपुर ।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी), जविप्रा, जयपुर ।
6. उपायुक्त जोन ए-1, ए-2, बी-1, बी-2, बी-3, सी-1, सी-2, एवं डी
7. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर ।

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति -द्वितीय (सीपीसी)